संख्या-1874 /81-2-2020-800(151)/2019

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 08 अक्टूबर, 2020

विषय- हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा हथगाम-पटटीशाह रोड के किमी0 सं0-2 के बायी पटरी पर गाटा सं0 95 ग्राम मोहलिया परगना हथगाम जिला फतेहपुर में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु आवागमन में प्रभावित 0.057668 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-485/11-सी-एफपी/यूपी/अदर्स/42145/2019, दिनांक 03-09-2020 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0 कानपुर द्वारा हथगाम-पटटीशाह रोड के किमी0 सं0-2 के बायी पटरी पर गाटा सं0 95 ग्राम मोहलिया परगना हथगाम जिला फतेहपुर में प्रस्तावित नये रिटेल आउटलेट पेट्रोल/डीजल पम्प की स्थापना हेतु आवागमन में प्रभावित 0.057668 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में भारत सरकार के पत्रांक-8बी/यूपी/06/20/2020/एफ0सी0/607 दिनांक 16.3.2020 तथा पत्रांक-8बी/यूपी/06/20/2020/एफ0सी0/845 दिनांक 01.09.2020 द्वारा प्रदत्त क्रमशः सैद्धांतिक एवं विधिवत स्वीकृति तथा राज्य सरकार की निम्न शर्तों/प्रतिबंधों एवं मा0 न्यायालय के आदेश के अधीन अनुमति आदेश निर्गत की जाती है:-

1. Legal status of the Forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees (Compartment No./Khasra No. Not provided, Village-Khasmau, Tehsil-Bindki Range, District-Fatehpur) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.No fast growing trees will be planted.
3. The User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Enviromental (Protection), Act,1986, if applicable.
4 The complete compliance of FRA 2006 shall be ensured by the way of prescribed certificate from the concerned District Collactor.
5- The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.
6- No labour camp shall be established on the forest land.
7. Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.
8- The separator island will be provided in front of Fuel Station between acceleration and declaration lanes and the space shall be used for plantation and its boundary shall be demarcated by a 2 ft. wall.
9- Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station.
10. Greenery will be maintained by the user agency around the periphery of Retail outlet.

http://shasanadesh.up.gov.in

11 The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost. As per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.

12 No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.

13 The Forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.

14 The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease tobe granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.

15 The Forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.

16 Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservaion) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEF& CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.

17 Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change maystipulate. From time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.

18. प्रस्तावक विभाग को संरक्षित वनभूमि के भू-स्वामित्व वाले विभाग से कार्य आरम्भ करने के पूर्व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा।

19 मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995-गोंडावर्मन थिरूमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।

20. प्रस्तावक विभाग के सम्बंधित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बंधित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुंचायेंगे और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुंचती है अथवा पहुंचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।

21 उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु अवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।

22 वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी अथवा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझे प्रश्नगत वनभूमि का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

23 प्रयोक्ता अभिकरण को यह वचनबद्धता देनी होगी कि यदि एन0पी0वी0 की धनराशि में इस अवधि में वृद्धि होती है तो इसका भुगतान किया जायेगा।

24. भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा ।

25. यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम् न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर लिया जायेगा ।

26 समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

27. उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रश्नगत अनुमति आदेश मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरूद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन सरंक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1874(1)/81-2-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

(1)- उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,क्षेत्रीय कार्यालय,केन्द्रीय भवन, पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार,लखनऊ।

(2)- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक प्रयागराज।

(3)- जिलाधिकारी, फतेहपुर।

(4) प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग फतेहपुर।

(5)- प्रादेशिक प्रबंधक (खुदरा बिक्री) एच0पी0सी0एल0 कानपुर ।

(6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in